कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सरगुजा संभाग–अम्बिकापुर, छ.ग.

E-mail id- jdhealthsurguja@gmail.com Phone/Fax No- 07774-220451

क्रमांक / 761 / स्थापना नर्सिंग / 2020 अम्बिकापुर, दिनांक 27 / 11 / 2020

प्रति,

संचालक

सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.)

अटलनगर, रायपुर छ0ग0।

द्वारा:– संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, अटल नगर, रायपुर छ0ग0।

विषय:– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. अंतर्गत सरगुजा संभाग में स्टॉफ परिचारिका (स्टॉफ नर्स) की रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु संवर्गवार अनंतिम मेरिट सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन की सूचना।

—00—

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक / एफ 1–60 / 202 / 17–एक, दिनांक 27.07.2020 द्वारा 569 स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सहमति / अनुमति उपरांत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / स्थापना नर्सिंग / ... / 2020 / 591 A नवा रायपुर, दिनांक 17.08.2020 के तहत् 135 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 17.08.2020 से 31.08.2020 तक ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर आमंत्रित किये गये थे। तत्संबंध में दावा–आपत्ति निराकरण कर निराकरण सूची, दावा–आपत्ति पश्चात् संशोधित अनंतिम मेरिट सूची तैयार कर जिले के वेबसाईट www.surguja.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर प्रकाशित की गई है। वर्गवार (अनारक्षित / अनु.जनजाति / अ.पि. वर्ग / अनु.जाति) अनंतिम मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 11.12.2020 एवं 14.12.2020 से 16.12.2020 को आयोजित की जानी है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रमांक	दिनांक एवं दिवस	समय	वर्ग	वर्ग में मेरिट क्रमांक
01	02	03	04	05
1	11.12.2020 (शुक्रवार)	पूर्वान्ह 11:00 से 12:00	अनारक्षित	01 से 20
2		अपरान्ह 12:00 से 01:00	अनारक्षित	21 से 40
3		अपरान्ह 01:00 से 02:00	अनारक्षित	41 से 60
4		अपरान्ह 02:00 से 02:30	भोजन अवकाश	
5		अपरान्ह 02:31 से 03:30	अनारक्षित	61 से 87
6		अपरान्ह 03:30 से 04:30	अनुसूचित जाति	01 से 18
7		अपरान्ह 04.30 से 05:00	भूतपर्व सैनिक श्रेणी	01 से 04
8			निःशक्त श्रेणी	01 से 05
9	14.12.2020 (सोमवार)	पूर्वान्ह 11:00 से 12:00	अन्य पिछड़ा वर्ग	01 से 20
10		अपरान्ह 12:00 से 01:00	अन्य पिछड़ा वर्ग	21 से 40
11		अपरान्ह 01:00 से 02:00	अन्य पिछड़ा वर्ग	41 से 57
12		अपरान्ह 02:00 से 02:30	भोजन अवकाश	
13		अपरान्ह 02:31 से 03:30	अनुसूचित जनजाति	01 से 20
14		अपरान्ह 03:30 से 04:30	अनुसूचित जनजाति	21 से 40
15	15.12.2020 (मंगलवार)	पूर्वान्ह 11:00 से 12:00	अनुसूचित जनजाति	41 से 60
16		अपरान्ह 12:00 से 01:00	अनुसूचित जनजाति	61 से 80
17		अपरान्ह 01:00 से 02:00	अनुसूचित जनजाति	81 से 100
18		अपरान्ह 02:00 से 02:30	भोजन अवकाश	
19		अपरान्ह 02:31 से 03:30	अनुसूचित जनजाति	101 से 120
20		अपरान्ह 03:30 से 04:30	अनुसूचित जनजाति	121 से 130
21	16.12.2020 (बुधवार)	पूर्वान्ह 11:00 से 12:00	अनुसूचित जनजाति	131 से 150
22		अपरान्ह 12:00 से 01:00	अनुसूचित जनजाति	151 से 170
23		अपरान्ह 01:00 से 02:00	अनुसूचित जनजाति	171 से 189

नोटः— अभ्यर्थी उपरोक्त सारणी के कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वर्ग के मेरिट सूची का अवलोकन कर कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित क्रमांक अनुसार उपस्थिति देवें।

1. कोविड—19 संक्रमण को देखते हुये अनावश्यक भीड़ न हो इस उद्देश्य से समय—सीमा निर्धारित की गई है। **अतः समस्त अभ्यर्थी निर्धारित समय—सीमा का पालन करें एवं शासन नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।**
2. अभ्यर्थी को अपने साथ विज्ञापन में दर्शित दस्तावेजों (10वीं, 12वीं, समस्त वर्ष के नर्सिंग अंकसूची, छ.ग. नर्सिंग कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र, भू.पू.सै./दिव्यांग प्रमाण पत्र) की **मूल प्रति एवं दो स्व प्रमाणित छायाप्रति** लाना अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थी अपने साथ पहचान पत्र (पेन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय) अनिवार्य रूप से लावें।
4. **कोविड—19 संक्रमण के चलते यदि कोई अपरिहार्य स्थिति निर्मित होती है जिससे अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना संभव नहीं हो पा रहा हो तो अभ्यर्थी किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत कर सकता है।** अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिये लिखित रूप से अधिकृत करेगा एवं अधिकार पत्र में प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना एवं अनुपस्थित होने का कारण दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अधिकृत व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के समय अधिकार पत्र एवं अपना तथा अभ्यर्थी का परिचय पत्र की मूल प्रति एवं अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित छायाप्रति अधिकार पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा जारी लिखित अधिकार पर नहीं होने की स्थिति में किसी भी प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।
5. अभ्यर्थी को उक्त दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित होने के लिये किसी भी प्रकार का टीए/डीए इस कार्यालय/संस्था द्वारा देय नहीं होगा।
6. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय—सीमा में उपरोक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा।
7. **अभ्यर्थीयो का दस्तावेज सत्यापन किये जाने हेतु निर्धारित स्थलः— लेक्चरर थियेटर, वायरोलॉजी विभाग (माइक्रोबायोलॉजी लैब) के बगल में, जिला चिकित्सालय परिसर अम्बिकापुर जिला— सरगुजा छ0ग0। (निर्धारित स्थल के लिए अधिक जानकारी हेतु स्थानीय कार्यालय के कर्मचारी श्री मकसुद अहमद मोबाईल नंम्बर— 9617134786 एवं श्री सुरेश गायकवाड़ मोबाईल नम्बर— 7987274667 से सम्पर्क कर सकतें है।)**

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर छ.ग.